(सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त
आदर्श ज्ञान मंदिर मिडिल स्कूल
बल्लभबाड़ी कोटा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थायें) कोटा

क्रमांक-जिशिअ/को/शाखा-निज./84-85/375 दिनांक 17 जनवरी 1985

मान्यता आदेश

आदर्श ज्ञान मंदिर विद्यालय समिति / केशवपुरा कोटा द्वारा संचालित ---- ज्ञान मन्दिर विद्यालय केशवपुरा कोटा को संलग्न मान्यता-शर्तों के अधीन ~~........~~/उच्च प्राथमिक स्तर तक की मान्यता पूर्णतया अस्थाई तौर पर दिनांक 30 जून 1987 तक की अवधि के लिये एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

इसी क्रम में निर्देशित किया जाता है कि निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जावे तथा पालना की रिपोर्ट दो माह की अवधि में इस कार्यालय को प्रस्तुत की जावे -

1- प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त किया जावे।
2- अध्यापकों को विभाग द्वारा निर्धारित वेतन मान में वेतन दिया जावे।
3- विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुकूल अध्यापकों की नियुक्ति की जावे तथा उनका विभाग से अनुमोदन कराया जावे।
4- नियमानुसार लेखा सन्धारित किया जावे तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा लेखा परीक्षण कराया जावे।

SECRETARY
Adarsh Gyan Mandir Vidhyalaya Sa
Kota (Raj.)

मान्यता के लिए निर्धारित शर्तों की पालना न करने अथवा असन्तोषप्रद पाये जाने की स्थिति में यह विभागीय मान्यता तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

ह0/
जिला शिक्षा अधिकारी
(छात्र संस्थायें) कोटा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु -
1- सम्बद्ध विद्यालय -- ज्ञान मन्दिर विद्यालय -- केशवपुरा, -- कोटा ------
2- अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी/उप जिला शिक्षा अधिकारी -----------
3- अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी
4- शैक्षिक प्रकोष्ठ स्थानीय कार्यालय
5- नामांकन प्रभारी स्थानीय कार्यालय
6- गार्ड फायल

17/1/85
जिला शिक्षा अधिकारी
(छात्र संस्थायें) कोटा